

प्रधानमंत्री जन धन योजना के आठ वर्ष

प्रलिम्स के लिये:

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), वित्तीय समावेशन सूचकांक, डिजिटल पहचान (आधार), वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) परियोजना, डिजिटल भुगतान का प्रचार, ई-कॉमर्स।


मेन्स के लिये:

गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) जो कि **वित्तीय समावेशन** के लिये एक राष्ट्रीय मशिन है, ने अपने कार्यान्वयन के आठ वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिये हैं।

- PMJDY के तहत 46.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने PMJDY की शुरुआत से 1,73,954 करोड़ रुपए की राशजिमा की है।



Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana #TransformingIndia

Before

Financial exclusion

Leakages in subsidies, benefits not reaching the targeted population due to beneficiaries not having own authentic savings bank accounts

What's New ?

New ambition, higher achievement

Universal access to banking facilities with atleast one basic banking account for every household, financial literacy, access to credit, insurance and pension facility

Key Features

- Account can be opened in any branch or business correspondent (Bank Mitra) outlet
- Interest on deposit
- No minimum balance required
- Easy transfer of money across India
- After satisfactory operation of the account for 6 months, overdraft facility to be permitted
- Accidental Insurance Cover, RuPay Debit Card must be used atleast once in 45 days
- Overdraft facility upto Rs.5000/- is available in only one account per household, preferably lady of the household
- Access to pension, insurance products
- Beneficiaries of Government Schemes will get Direct Benefit Transfer in these accounts
- Life insurance cover of Rs. 30,000/-
- Accidental insurance cover of Rs.1 Lakh
- PMJDY accounts with zero balance

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):

- परिचय:
 - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिये राष्ट्रीय मशिन है।

- यह वित्तीय सेवाओं, अर्थात् बैंकिंग/बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन की सुलभ तरीके से पहुँच सुनिश्चित करता है।
- PMJDY जन-केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है। चाहे वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), कोविड-19 वित्तीय सहायता, PM-KISAN, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बढ़ी हुई मजदूरी जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर हो, इन सभी पहलों का पहला कदम प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता प्रदान करना है जिसे PMJDY ने लगभग पूरा कर लिया है।

■ उद्देश्य:

- एक कफायती मूल्य पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- कम लागत और व्यापक पहुँच के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग।

■ योजना के मूल सिद्धांत:

- बैंक रहति वयस्कों तक बैंक सुविधाओं की पहुँच: न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ मूल बचत बैंक जमा (BSBD) खाता खोलना, केवाईसी में छूट, ई-केवाईसी, कैंप मोड में खाता खोलना, ज़ीरो बैलेंस और शून्य शुल्क।
- असुरक्षित को सुरक्षित करना: 2 लाख रुपए के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ, व्यापारिक स्थानों पर नकद निकासी और भुगतान के लिये स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना।
- गैर-वित्त पोषित को वित्त पोषण: अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे सूक्ष्म बीमा, खपत के लिये ओवरड्राफ्ट, सूक्ष्म पेंशन और सूक्ष्म ऋण।

वित्तीय समावेशन:

- **वित्तीय समावेशन** कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने का प्रयास है। इसे 'समावेशी वित्तपोषण' भी कहा जाता है।
- भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में वित्तीय समावेशन विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज़ादी के बाद से सरकारों, नयिमक संस्थानों और नागरिक समाज के संयुक्त प्रयासों ने देश में वित्तीय समावेशन तंत्र को मज़बूत करने में मदद की है।
- बैंक खाते तक पहुँच प्राप्त करना **व्यापक वित्तीय समावेशन की दृष्टि में पहला कदम है** क्योंकि एक लेनदेन खाता लोगों को पैसे जमा करने, भुगतान करने और धन प्राप्त करने की अनुमति देता है। एक लेनदेन खाता अन्य वित्तीय सेवाओं के लिये प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ावा देने वाली पहलें:

- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- डिजिटल पहचान (आधार)
- वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय केंद्र (NCFE)
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) परियोजना
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का वसितार
- डिजिटल भुगतान का प्रचार

योजना के प्रमुख छह स्तंभ:

- बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच: शाखा और बैंकिंग कॉरिस्पोंडेंट्स।
- ओवरड्राफ्ट सुविधा: रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाते। प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000/- रुपए।
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम: बचत को बढ़ावा देना, ATM का उपयोग, ऋण के लिये तैयार करना, बीमा और पेंशन का लाभ उठाना, बैंकिंग हेतु बुनियादी मोबाइल फोन का उपयोग करना।
- क्रेडिट गारंटी फण्ड का निर्माण: बैंकों को चूक के खिलाफ कुछ गारंटी प्रदान करना।
- बीमा: 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खाते पर 1,00,000 रुपए तक का दुर्घटना कवर और 30,000 रुपए का जीवन कवर।
- असंगठित क्षेत्र के लिये पेंशन योजना।

इस योजना की उपलब्धियाँ:

- डिजिटल बैंकिंग के प्रति दृष्टिकोण:
 - खोले गए खाते बैंकों की **कोर बैंकिंग प्रणाली** का हिस्सा हैं।
 - ध्यानाकर्षण 'हर घर' से हटकर, प्रत्येक बैंक रहति वयस्क पर हो गया है।
 - फकिस्ड-पॉइंट बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट्स।
 - बोझिल केवाईसी औपचारिकताओं के स्थान पर सरलीकृत KYC/e- KYC।
- नई सुविधाओं के साथ PMJDY का वसितार:
 - ध्यानाकर्षण 'हर घर' से हटकर प्रत्येक बैंक रहति वयस्क पर हो गया है।

- **रुपे कार्ड इश्योरेंस:**
 - 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए PMJDY खातों के लिये रुपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है।
- **अंतरसंचालनीयता को सक्रम करना:**
 - रुपे डेबिट कार्ड या **आधार** सक्रम भुगतान प्रणाली (AePS) के माध्यम से।
- **ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में वृद्धि:**
 - ओवरड्राफ्ट की सीमा को 5,000/- रुपए से दोगुनी करते हुए 10,000/- रुपए की गई; 2,000/- रुपए तक का ओवरड्राफ्ट बनी शर्तों के मल्लिगा।
 - ओवरड्राफ्ट के लिये अधिकतम आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कथिा गया।
- **जन धन दरशक एप (Jan Dhan Darshak App):** देश में बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक मल्लिरों, डाकघरों आदल्लिसे बैंकलिंग टच प्वाइंट्स का पता लगाने हेतु एक नागरकल केंदरलतल प्लेटफार्म प्रदान करने के लिये मोबाइल एप्ललकेशन का शुभारंभ कथिा गया।
- **वत्लतलतल समावेशन में वृद्धल:**
 - कोवडल-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के 10 दनल्लों के भीतर लगभग 20 करोड से अधिक महिला PMJDY खातों में अनुग्रह राशल जमा की गई।
 - **PMJDY खातों की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड से तीन गुना बढ़कर 10 अगस्त, 2022 तक 46.25 करोड हो गई है।**
 - अगस्त 2022 में कुल 46.25 करोड PMJDY खातों में से 37.57 करोड खाते (81.2%) चालू हैं।
 - केवल 8.2% PMJDY खाते शून्य शेष वाले खाते हैं।
 - इन खातों में 2.58 गुना वृद्धल के साथ इनमें जमा होने वाली धनराशल में लगभग 7.60 गुना वृद्धल हुई है (अगस्त 2022 / अगस्त 2015)
- **वत्लतलतल प्रणाली का औपचारकलरण:**
 - यह गरीबों की बचत को औपचारकल वत्लतलतल प्रणाली में लाने का अवसर प्रदान करता है, गाँवों में अपने परिवारों को पैसे भेजने के अलावा उन्हें सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर नकललने का मौका देता है।
- **लीकेंज की रोकथाम:**
 - प्रधानमंल्लरी जन-धन खातों के जरयल DBT ने यह सुनशलचतल कथिा है कल प्रतत्येक रुपया अपने लक्षतल लाभार्थी तक पहुँचे और प्रणाली में लीकेंज (रसलिव) को रोका जा सके।
- **सुचारू DBT लेनदेन:**
 - यह सुनशलचतल करने के लिये कल पात्र लाभार्थयों को उनका DBT समय पर प्राप्त हो, वभलग DBT मशलन, NPCI, बैंकों और कई अन्य मंल्लरालयों के साथ परामर्श कर DBT की राह में आनेवाली अडचनों के टाले जा सकने वाले कारणों की पहचान करने में सक्रयल भूमकल नभलता है।
- **डजलटलल लेनदेन:**
 - डजलटलल लेनदेन की कुल संख्या वत्लतल वर्ष 2016-17 में 978 करोड से बढ़कर वत्लतल वर्ष 2021-22 में 7,195 करोड हो गई है।
 - यूपीआई वत्लतलतल लेनदेन की कुल संख्या वत्लतल वर्ष 2016-17 में 1.79 करोड से बढ़कर वत्लतल वर्ष 2021-22 में 4,596 करोड हो गई है।
 - इसी प्रकार, पीओएस और ई-कॉमर्स में रुपे कार्ड लेनदेन की कुल संख्या वत्लतल वर्ष 2016-17 में 28.28 करोड से बढ़कर वत्लतल वर्ष 2021-22 में 151.64 करोड हो गई है।

आगे की राह:

- सूक्ष्म बीमा योजनाओं के तहत **PMJDY खाताधारकों का कवरेज सुनशलचतल** करने का प्रयास कथिा जाना चाहयल।
 - पात्र **PMJDY** खाताधारकों को **PMJJBY** और **PMSBY** के तहत कवर करने की मांग की जाएगी। इस बारे में बैंकों को पहले ही सूचतल कर दथिा गया है।
- समग्र राषल्ल्टर में स्वीकृतल बुनयलदी ढाँचे के नरलमाण के माध्यम से **PMJDY खाताधारकों** के मध्य रुपे डेबिट कार्ड के उपयोग सहतल **डजलटलल भुगतान** को बढ़ावा देना चाहयल।
- PMJDY खाताधारकों की सूक्ष्म-ःरण और नवलश जैसे आवरती जमा खातों आदलतक पहुँच सुनशलचतल करना।

UPSC सवलल सेवा परीकषा, वगलत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रललमलस:

Q. 'प्रधानमंल्लरी जन धन योजना' कसलके लयल शुरू की गई है? (2015)

- (a) नरलधन व्यकतयों को सस्ती ब्याज दरों पर आवास ःरण उपलब्ध कराना
- (b) पछलडे क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना
- (c) देश में वत्लतलतल समावेशन को बढ़ावा देना
- (d) वंचतल समुदायों को वत्लतलतल सहायता प्रदान करना

उत्तर: C

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मशिन है जिसमें देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन करने के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है।
- इस योजना में बैंकिंग सुविधाओं (हर घर के लिये कम से कम एक बुनियादी बैंक खाते के साथ), वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुँच, बीमा और पेंशन सुविधा तक सार्वभौमिक पहुँच की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, लाभार्थियों को रुपये डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसमें दो लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होता है।
- यह सभी सरकारी योजनाओं (केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय से) को लाभार्थी के खातों में प्रसारित करने और केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।

अतः विकल्प C सही है।

मेन्स:

Q. बैंक खाते से वंचित लोगों को संस्थागत वित्त के दायरे में लाने के लिये प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) आवश्यक है। क्या आप भारतीय समाज के गरीब वर्ग के वित्तीय समावेशन के लिये इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि के लिये उचित तर्क दीजिये। (2016)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/eight-years-of-pradhan-mantri-jan-dhan-yojna>

